

पत्रांक-10/स्थापना व्यय आ0-17/2025

7/3/20 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पाकुड़, देवघर, प0 सिंहभूम, चाईबासा, दुमका, कोडरमा,
पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद।

राँची, दिनांक-15-10-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-01-अवर प्रमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु वेतन एवं संविदा भत्ता इकाई में कुल ₹6,04,47,000/- (छः करोड़ चार लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वेतन एवं संविदा भत्ता इकाई में कुल ₹6,04,47,000/- (छः करोड़ चार लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

for

कृ०पृ०उ०

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Sheel
14/11

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/स्थापना व्यय आ0-17/2025 7/10/25 राँची, दिनांक- 15/10-2025
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार
पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sheel
14/11/25

सरकार के सचिव।

fm

10/स्थापना व्यय आ0-17/2025.....71/31 रा., रांची, दिनांक-15/10/2025
स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष- 01-
अवर प्रमंडलीय स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि का आवंटन विवरणी-

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन	संविदा मत्ता	कुल
1	उपायुक्त, पाकुड़	PKRDADA 01	12000000		12000000
2	उपायुक्त, देवघर	DGRDADA 94	15000000	480000	15480000
3	उपायुक्त, प0 सिंहभूम	SGHDAD 017	5967000		5967000
4	उपायुक्त, दुमका	DMKDAD 012	5200000		5200000
5	उपायुक्त, कोडरमा	KDMDADA 13	5000000		5000000
6	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम	JSRDAD 001	11300000		11300000
7	उपायुक्त, धनबाद	DHNDAD 001	5500000		5500000
कुल योग			59967000	480000	60447000

Chandra Shekhar
14/10/2025

(चन्द्रशेखर)
सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

Yr

